

प्रेषक,

डॉ० सुधीर एम० बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक: 05 दिसम्बर, 2017

विषय: डा० कृपा शंकर सिंह तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त, डा० जी०एन० सिंह तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली एवं श्री चन्द्रशेखर सिंह, कनिष्ठ सहायक/कैशियर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद का स्पष्टीकरण एवं उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-155/37-3-2017, दिनांक 18.05.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन के क्रम में आपके पत्र संख्या-425/स्था०-3/53बी(309), दिनांक 14.09.2017 द्वारा श्री चन्द्रशेखर सिंह, कनिष्ठ सहायक/कैशियर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद का स्पष्टीकरण शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री चन्द्रशेखर सिंह कनिष्ठ सहायक/कैशियर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद को भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण को समाप्त/निक्षेपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।